प्रेषक,

संख्या–2012/38–7–2009– 02एनआरईजीए/05टी..सी..

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2009

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड धारक परिवार के सदस्यों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका एवं शासन की अधिसूचना संख्या–107/38–7–09–08एनआरईजीए दिनांकः 08–02–07 में यह प्राविधान है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से जॉब कार्ड निर्गत किया गया है, का वयस्क सदस्य योजनान्तर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा। वह अपना नाम, उम्र, पता एवं जॉब कार्ड संख्या आदि का उल्लेख करते हुए आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की अनुसूची–2 अनुच्छेद–9 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी के पास भी आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था का पूर्ण रूपेण फील्ड स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शासन के समक्ष यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर भी उन्हें रोजगार का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत ऐसे जॉब कार्ड धारक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने इच्छुक हों वे ग्राम रोजगार सेवक को अनिवार्य रूप से लिखित आवेदन पत्र देगें, जिन्हें रोजगार सेवक ग्राम स्तर पर रखे रजिस्टर में पंजीकृत करके श्रमिक को प्राप्ति रसीद देगें। योजनान्तर्गत रोजगार मुहैया कराने की निर्धारित समय सीमा 15 दिवस के भीतर रोजगार न देने पर ग्राम रोजगार सेवक तथा उसके पर्यवेक्षकीय दायित्व वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन श्रमिकों को मौखिक अनुरोध पर कार्य स्थलों पर लगाया जाता है, इनसे भी कार्य करने की अवधि में लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा, ताकि शत–प्रतिशत इच्छुक श्रमिकों के अभिलेख विकास खण्ड/ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2012 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।